भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2441

उत्तर देने की तारीख: 08.07.2019

अल्पसंख्यकों हेतु शिक्षा

2441. श्री के॰ नवासखनीः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में अल्पसंख्यकों की शिक्षा हेतु तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार और वर्ष वार कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि ये योजनाएं अल्पसंख्यकों में शिक्षा की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना (एसपीईएमएम) कार्यान्वित की जा रही है। 'मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना' समग्र योजना है जिसमें मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता प्रदान करने (एसपीक्यूईएम) और अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसरंचनात्मक विकास (आईडीएमआई) हेतु योजना शामिल है।

1) एसपीक्यूईएम मदरसों और मकतबों जैसी परंपरागत संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिससे अधिकतम तीन शिक्षकों के लिए सहायता के जरिए उनकी पाठ्यचर्या में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषयों; पुस्तकों, शिक्षण अधिगम सामग्री और कम्प्युटर लैब के माध्यम से आधुनिक शिक्षा शुरू की जाएगी।

2) आईडीएमआई अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों की औपचारिक शिक्षा के लिए सुविधाओं का दायरा बढ़ाने हेतु अल्पसंख्यक संस्थाओं (प्रारंभिक/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों) में स्कूल

अवसरचना का संवर्धन करके और सुदृढ़ीकरण करके अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का प्रावधान करती है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

1) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना- यह छात्रवृत्ति सरकारी/मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा I से X में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को दी जाती है। बालिकाओं के लिए न्यूनतम 30% छात्रवृत्ति चिन्हांकिंत की गई है। पात्रता के लिए**,** विद्यार्थियों के अभिभावक/अभिरक्षकों की आय 1.00 लाख रूपए से अधिक न हो और पिछली कक्षा में उसने न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों।

2) मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति योजना- यह छात्रवृत्ति सरकारी/मान्यताप्राप्त निजी स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों में XI कक्षा से पीएच.डी स्तर में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को दी जाती है। बालिकाओं के लिए न्यूनतम 30% छात्रवृत्ति चिन्हांकित की गई है। पात्रता के लिए, विद्यार्थियों के अभिभावक/अभिरक्षकों की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपए से अधिक न हो और उसने पिछली कक्षा में न्यूनतम 50% अंक हासिल किए हों।

3) योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना- यह छात्रवृत्ति समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं में अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम करने के लिए आयोजित की जाती है। योजना के अंतर्गत**,** छात्राओं के लिए 30% छात्रवृत्तियां चिन्हांकित की गई। व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योजना में 85 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है**,** जिसके लिए पाठ्यक्रम की पूरी फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। पात्रता के लिए, विद्यार्थियों के अभिभावक/अभिरक्षकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो और उसने पिछली कक्षा में न्यूनतम 50% अंक हासिल किए हों।

4) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ) योजना- ये अध्येतावृत्तियां नियमित और पूर्णकालिक एम.फिल और पीएच.डी पाठ्यक्रम करने वाले शोध विद्यार्थियों को दी जाती है। इस अध्येतावृत्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को कवर किया जाएगा और इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। छात्राओं के लिए 30% अध्येतावृत्तियां चिन्हांकित की गई है। पात्रता के लिए, विद्यार्थियों के अभिभावक/अभिरक्षकों की वार्षिक आय 6.00 लाख रूपए से अधिक न हो।

5) पढ़ो परदेश- विदेश अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की योजना इस योजना के अंतर्गत, विद्यार्थियों को मास्टर्स और एम.फिल/पीएच.डी स्तर पर विदेश में अध्ययन के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम करने हेतु विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋणों के लिए ऋण विलंबन अवधि हेतु देय ब्याज पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है। यह योजना केनरा बैंक के माध्यम से कार्यान्वित

की जाती है। पात्रता के लिए, विद्यार्थियों के अभिभावक/अभिरक्षकों की वार्षिक आय 6.00 लाख रूपए से अधिक न हो।

6) नि:शुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना- इस योजना के अंतर्गत, अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, कानून, चिकित्सा, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि जैसे तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले हेतु प्रवेश परीक्षा में और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, रेलवे आदि सहित केंद्र और राज्य सरकारों में समूह 'क', 'ख' और 'ग' में भर्ती के लिए विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करने हेतु नि:शुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है।

7) नई उड़ान- सिविल सेवाओं और अन्य समूह 'क' और 'ख' पदों हेतु यूपीएससी/एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी) द्वारा संचालित प्रीलिम्स (प्रथम परीक्षा) पास करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को सहायता। इस योजना का उद्देश्य संघ लोक सभा आयोग द्वारा संचालित प्रीलिम्स (प्रथम परीक्षा) पास करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकें।

(ख): इन योजनाओं के लिए पिछले 4 वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान आबंटित निधियों और जारी निधियों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। तथापि, उपर्युक्त में से किसी भी योजना के अंतर्गत कोई राज्य-वार निधि आबंटित नहीं की जाती है।

(ग) और (घ): जी, नहीं। इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रापत करने हेतु अधिक से अधिक अल्पसंख्यक संस्थाएं और अल्पसंख्यक विद्यार्थी सामने आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यकों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी अन्य शैक्षिक योजनाओं द्वारा भी कवर किया जा रहा है।

*****

अल्पसंख्यकों हेतु शिक्षा के संबंध में श्री के. नवासखनी द्वारा दिनांक 08.07.2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 2441 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राशि करोड़ रू.में

क्र. सं.	स्कीम	वर्ष	निधि आवंटन	जारी की गई निधि
1.	मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना	2015-16	335.50	295.81
		2016-17	120.00	109.19
		2017-18	120.00	107.89
		2018-19	120.00	18.25.00
		2019-20	120.00	00.00
2.	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	2015-16	1040.10	1015.72
		2016-17	931.00	585.94
		2017-18	1001.15	1108.13
		2018-19	1269.00	1176.19
		2019-20	1220.30	00.00
3.	पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	2015-16	580.10	552.83
		2016-17	550.00	287.11
		2017-18	561.29	479.72
		2018-19	500.00	354.89
		2019-20	496.01	00.00
4.	योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना	2015-16	335.00	315.00
		2016-17	395.00	220.54
		2017-18	319.54	388.79
		2018-19	402.00	261.17
		2019-20	366.43	00.00
5.	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फैलोशिप	2015-16	55.58	55.52
		2016-17	120.00	119.92
		2017-18	150.00	124.87
		2018-19	153.00	97.85
		2019-20	155.00	00.00
6.	पढ़ो परदेश	2015-16	4.19	4.15
		2016-17	5.32	4.00
		2017-18	17.00	17.00
		2018-19	45.00	45.00
		2019-20	30.00	00.00
7.	नि:शुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना	2015-16	45.00	44.87
		2016-17	40.00	40.00
		2017-18	48.00	45.59
		2018-19	74.00	44.61
		2019-20	75.00	00.00
8.	नई उड़ान	2015-16	4.00	3.97
		2016-17	4.00	4.00
		2017-18	6.21	6.21
		2018-19	8.00	6.72
		2019-20	20.00	0.00

अल्पसंख्यको हेतु शिक्षा के संबंध में श्री के.नवासखनी द्वारा दिनांक 8.7.2019 को पूछा जाने वाला लोक सभा अतारांकित प्रश्न 2441 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

एसपीक्यूईएम के तहत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण

(रू. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2015-16			2016-17			2017-18			2018-19		
		मदरसा की संख्या	राशि	शिक्षक की संख्या	मदरसा की संख्या	राशि	शिक्षक की संख्या	मदरसा की संख्या	राशि	शिक्षक की संख्या	मदरसा की संख्या	राशि	शिक्षक की संख्या
1	बिहार	1127	1543.36	3381	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	छत्तीसगढ़	268	364.11	667	480	684.72	1318	432	649.57	1138	218	209.67	474
3	झारखंड	110	204.48	285	-	-	-	110	148.14	285	-	-	-
4	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	मध्य प्रदेश	3288	2532.87	6093	1877	1526.7	3786	1138	846.74	2485	1138	567.123	2485
6	त्रिपुरा	258	305.27	655	-	-	-	257	320.50	653	128	147.60	322
7	उत्तर प्रदेश	14974	23101.3	37824	6062	8089.1	15107	4039	5543.56	10724	7044	491.444	21126
8	उत्तराखंड	481	892.49	1389	287	393.47	758	228	251.02	624	34	51.84	100
9	पश्चिम बंगाल	221	461.38	663	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	**20727**	**29405**	**50957**	**8706**	**10694**	**20969**	**4720**	**7759.54**	**12518**	**8562**	**1467.677**	**24507**

अल्पसंख्यको हेतु शिक्षा के संबंध में श्री के.नवासखनी द्वारा दिनांक 8.7.2019 को पूछा जाने वाला लोक सभा अतारांकित प्रश्न 2441 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

आईडीएमआई के तहत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण

(रू.लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
		संस्थानों की संख्या	राशि	संस्थानों की संख्या	राशि	संस्थानों की संख्या	राशि	संस्थानों की संख्या	राशि
1	हरियाणा	-	-	-	-	-	-		
2	कर्नाटक	-	-	2	11.435	-	-		
3	केरल	6	56.063	1	3.75	131	2804.517	3	31.685
4	मणिपुर	1	25	-	-	-	-	1	25
5	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-		
6	महाराष्ट्र	-	-	-	-	14	60		
7	नगालैंड	-	-	3	8.625	3	8.625		
8	उत्तराखंड	-	-	-	-	1	7.13		
9	सिक्किम	4	39.58	7	51.525	7	149.37		
10	मिजोरम	1	4.875	25	129.06	-	-	25	82.39
11	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-		
12	उत्तर प्रदेश	1	5.33	1	20.6	-	-	9	218.25
	कुल	**13**	**130.85**	**39**	**225.00**	**156**	**3029.642**	**38**	**357.3275**

विगत चार वर्ष और चालू वर्ष यानी 2015-16 से 2019-20 के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए नि:शुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना के तहत राज्य-वार वित्तीय उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
		निधि आवंटन	जारी /उपयोग की गई राशि (रू. में)	निधि आवंटन	जारी /उपयोग की गई राशि (रू. में)	निधि आवंटन	जारी /उपयोग की गई राशि (रू. में)	निधि आवंटन	जारी /उपयोग की गई राशि (रू. में)	निधि आवंटन	जारी /उपयोग की गई राशि

											(रू. में)
1	अंडमान और निकोबार	राज्य-वार निधि आवंटन नहीं	0	राज्य-वार निधि आवंटन नहीं	0	राज्य-वार निधि आवंटन नहीं	0	राज्य-वार निधि आवंटन नहीं	0		
2	आंध्र प्रदेश		26093000		34481000		15701814		33902786		
3	अरुणाचल प्रदेश		0		0		0		0		
4	असम		375000		375000		0		1770000		
5	बिहार		0		0		0		2000000		
6	चंडीगढ़		4472000		7088000		3427000		4432900		
7	छत्तीसगढ़		0		0		0		3250000		
8	दादरा और नगर हवेली		0		0		0		0		
9	दमन और दीव		0		0		0		0		
10	दिल्ली		27769581		15284100		17499500		16654739		
11	गोवा		0		0		0		0		
12	गुजरात		7814000		0		14725066		25286750		
13	हरियाणा		1960500		2035500		2964000		4589000		
14	हिमाचल प्रदेश		0		0		0		0		
15	जम्मू और कश्मीर		1845000		3015000		10564161		1625000		
16	झारखंड		5875000		0		5220000		4880000		
17	कर्नाटक		84542000		61051130		107455832		77884821		
18	केरल		17900000		2860000		25593330		23500000		
19	मध्य प्रदेश		8110000		1437000		9644000		23112000		
20	महाराष्ट्र		58964000		47007912		38415654		71845000		
21	मणिपुर		1715000		2305000		4034000		894000		
22	मेघालय		1595000		1339000		3097000		4491690		
23	मिजोरम		0		0		0		0		
24	नगालैंड		0		0		0		0		
25	ओडिशा		0		0		0		0		
26	पंजाब		0		0		15600000		9750000		
27	राजस्थान		1175400		6772000		7153800		1215979		

			0						8		
28	सिक्किम		0		0		0		0		
29	तमिलनाडु		0		0		11700000		6500000		
30	तेलंगाना		76546000		103049400		75972256		1190000		
31	त्रिपुरा		0		0		0		0		
32	उत्तर प्रदेश		55993848		56110000		48776910		74351650		
33	उत्तराखंड		482000		1223000		0		761000		
34	पश्चिम बंगाल		54904750		54566958		38186667		40031300		
35	लक्षद्वीप		0		0		0		0		
36	पुद्दुचेरी		0		0		0		0		
	कुल	45.00	448710679	45.00	400000000	48.00	455730990	74.00	444862434	0	

वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धि की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16			2016-17*			2017-18*		
		दी गई छात्रवृत्ति	आबंटित निधि (रूपए करोड़ में)	क्रेडिट की गई निधि (रूपए करोड़ में)	दी गई छात्रवृत्ति	आबंटित निधि (रूपए करोड़ में)	क्रेडिट की गई निधि (रूपए करोड़ में)	दी गई छात्रवृत्ति	आबंटित निधि (रूपए करोड़ में)	क्रेडिट की गई निधि (रूपए करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	155058	निधियों का कोई राज्य-वार आबंटन नहीं है	35.40	126764	निधियों का कोई राज्य-वार आबंटन नहीं है	25.80	119570	निधियों का कोई राज्य-वार आबंटन नहीं है	28.78
2	तेलंगाना	214661		40.63	159023		45.97	146538		47.32
3	अरुणांचल प्रदेश	0		0.00	0		0.00	0		0.00
4	असम	61325		22.82	137516		33.34	169325		88.95
5	बिहार	23210		6.35	60399		12.46	112342		28.88
6	छत्तीसगढ़	13363		3.95	7329		1.60	7660		2.05
7	गोवा	2127		0.22	1414		0.16	0		0.00
8	गुजरात	208176		34.49	113690		25.65	123638		31.80
9	हरियाणा	1174		0.19	2419		0.62	4592		1.78
10	हिमाचल प्रदेश	2477		0.36	1665		0.28	1600		0.29
11	जम्मू और कश्मीर	0		0.00	54137		12.28	101080		22.49
12	झारखंड	25797		7.94	18976		8.94	42965		24.66
13	कर्नाटक	467890		69.83	418552		71.53	321073		60.65
14	केरल	521109		65.45	498400		56.80	516303		61.71
15	मध्य प्रदेश	77054		11.25	71286		18.60	95344		25.76
16	महाराष्ट्र	511996		52.42	445635		47.24	579795		63.66
17	मणिपुर	2120		0.79	3382		1.92	5047		3.14
18	मेघालय	1879		0.49	8470		1.90	4988		1.24
19	मिजोरम	52149		12.55	47427		8.93	29721		7.01
20	नागालैंड	34507		8.61	16718		4.76	23459		8.31

21	ओडिशा	2976		0.40	14771		2.11	9574		1.83
22	पंजाब	428583		46.43	379737		56.50	407784		64.54
23	राजस्थान	145135		30.91	117789		30.00	132479		37.27
24	सिक्किम	2291		0.53	1026		0.23	739		0.23
25	तमिलनाडु	406136		46.01	330731		60.39	308277		60.31
26	त्रिपुरा	6478		0.99	1		0.00	4892		0.99
27	उत्तर प्रदेश	515410		123.26	422293		135.99	531289		161.96
28	उत्तराखंड	6666		2.66	14480		3.69	20292		6.42
29	पश्चिम बंगाल	1285719		280.78	675373		81.10	987562		124.82
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0		0.00	16		0.01	0		0.00
31	चंडीगढ़	1715		0.18	2394		0.25	2045		0.21
32	दादरा और नगर हवेली	78		0.01	63		0.01	0		0.00
33	दमन और दीव	0		0.00	0		0.00	0		0.00
34	दिल्ली	78		0.02	3		0.00	7229		0.92
35	लक्षद्वीप	0		0.00	0		0.00	0		0.00
36	पुदुचेरी	1442		0.29	1645		0.37	1919		0.56
	कुल	**5178779**	**1040.10**	**906.21**	**4153524**	**931.00**	**749.43**	**4819121**	**1001.15**	**968.54**

*अनंतिम डाटा। वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए छात्रवृत्ति का वितरण वर्ष 2018-19 में भी जारी है।
वर्ष 2018-19 के लिए 23 जुलाई, 2018 से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अभी तक कोई भी छात्रवृत्ति नहीं दी गई है।

वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धि की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16			2016-17*			2017-18*		
		दी गई छात्रवृत्ति	आबंटित निधि (रूपए करोड़ में)	क्रेडिट की गई निधि (रूपए करोड़ में)	दी गई छात्रवृत्ति	आबंटित निधि (रूपए करोड़ में)	क्रेडिट की गई निधि (रूपए करोड़ में)	दी गई छात्रवृत्ति	आबंटित निधि (रूपए करोड़ में)	क्रेडिट की गई निधि (रूपए करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	10743	निधियों का कोई राज्य-वार आबंटन नहीं है	9.05	12002	निधियों का कोई राज्य-वार आबंटन नहीं है	10.06	13626	निधियों का कोई राज्य-वार आबंटन नहीं है	10.69
2	तेलंगाना	15421		11.94	15017		12.08	15465		10.64
3	अरुणांचल प्रदेश	0		0.00	0		0.00	0		0.00
4	असम	29600		20.49	28330		18.65	29200		20.70
5	बिहार	44162		22.34	46630		25.30	47105		31.22
6	छत्तीसगढ़	2204		1.19	2001		1.08	2137		1.17
7	गोवा	177		0.11	239		0.17	0		0.00
8	गुजरात	24017		12.91	18257		10.60	18823		11.17
9	हरियाणा	2739		1.84	3413		2.37	5217		3.64
10	हिमाचल प्रदेश	510		0.26	503		0.26	529		0.30
11	जम्मू और कश्मीर	20602		11.42	23676		14.46	22439		14.13
12	झारखंड	12173		6.78	12946		8.27	14751		9.78
13	कर्नाटक	51775		32.68	41720		26.68	32220		20.12
14	केरल	46703		21.04	54613		24.97	55941		26.68
15	मध्य प्रदेश	14309		8.50	15296		9.61	17273		10.51
16	महाराष्ट्र	49766		23.98	44085		20.24	45604		22.65
17	मणिपुर	2647		2.07	2852		2.21	3330		2.53
18	मेघालय	4498		3.27	4954		3.33	6034		3.90
19	मिजोरम	586		0.44	1331		0.93	1331		0.97
20	नागालैंड	797		0.66	3676		2.71	5520		3.63
21	ओडिशा	3430		2.19	3179		2.09	3019		2.24
22	पंजाब	63801		31.64	58822		24.89	61292		22.39
23	राजस्थान	28437		19.41	24608		17.52	21973		14.49
24	सिक्किम	539		0.24	207		0.10	97		0.06
25	तमिलनाडु	41880		24.78	38444		21.31	2690		18.12
26	त्रिपुरा	1050		0.51	909		0.44	1021		0.66
27	उत्तर प्रदेश	98184		66.69	74833		54.41	86762		56.66
28	उत्तराखंड	2221		1.42	2920		2.11	4045		3.08
29	पश्चिम बंगाल	92122		46.63	88387		43.90	78171		44.45
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	0		0.00	5		0.01	0		0.00

	समूह									
31	चंडीगढ़	257		0.11	259		0.12	167		0.08
32	दादरा और नगर हवेली	19		0.01	26		0.01	11		0.00
33	दमन और दीव	34		0.01	39		0.01	4		0.00
34	दिल्ली	1226		0.79	531		0.34	4794		1.94
35	लक्षद्वीप	0		0.00	0		0.00	0		0.00
36	पुदुचेरी	211		0.15	280		0.18	382		0.22
	कुल	**666840**	**580.00**	**385.55**	**624990**		**361.42**	**600973**		**368.82**

*अनंतिम डाटा। वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए छात्रवृत्ति का वितरण वर्ष 2018-19 में भी जारी है।
वर्ष 2018-19 के लिए 23 जुलाई, 2018 से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अभी तक कोई भी छात्रवृत्ति नहीं दी गई है।

वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान साधन-सह-योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वास्तविक एवं वित्तीय :

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2015-16**			**2016-17***		
		दी गई छात्रवृत्ति	**आबंटित निधि (रूपए करोड़ में)**	**क्रेडिट की गई निधि (रूपए करोड़ में)**	**दी गई छात्रवृत्ति**	**आबंटित निधि (रूपए करोड़ में)**	**क्रेडिट की गई निधि (रूपए करोड़ में)**
1	आंध्र प्रदेश	1174	**निधियों का कोई राज्य-वार आबंटन नहीं है**	3.20	1950	**निधियों का कोई राज्य-वार आबंटन नहीं है**	5.27
2	तेलंगाना	1917		5.24	2444		6.41
3	अरुणांचल प्रदेश	0		0.00	0		0.00
4	असम	4698		13.60	4308		11.16
5	बिहार	11107		31.22	11352		32.23
6	छत्तीसगढ़	550		1.52	566		1.50
7	गोवा	167		0.42	114		0.30
8	गुजरात	4386		10.60	4006		9.34
9	हरियाणा	1240		3.30	1229		3.37
10	हिमाचल प्रदेश	99		0.29	79		0.20
11	जम्मू और कश्मीर	5784		16.30	5230		14.23

12	झारखंड	2066		6.23	2242		6.43
13	कर्नाटक	14728		36.56	12915		32.91
14	केरल	22876		62.57	20903		57.11
15	मध्य प्रदेश	2704		7.78	2799		7.88
16	महाराष्ट्र	6526		17.29	5181		13.61
17	मणिपुर	395		1.12	375		1.01
18	मेघालय	1068		2.80	1162		2.95
19	मिजोरम	96		0.24	254		0.57
20	नागालैंड	1279		3.47	1264		3.28
21	ओडिशा	550		1.56	604		1.62
22	पंजाब	9008		24.15	6975		18.35
23	राजस्थान	4133		11.30	3983		10.76
24	सिक्किम	83		0.22	55		0.16
25	तमिलनाडु	5294		14.06	5487		13.86
26	त्रिपुरा	185		0.60	159		0.47
27	उत्तर प्रदेश	17449		45.53	12648		33.65
28	उत्तराखंड	690		1.85	652		1.92
29	पश्चिम बंगाल	12190		32.23	12303		31.34
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4		0.01	2		0.00
31	चंडीगढ़	33		0.09	25		0.06
32	दादरा और नगर हवेली	2		0.00	7		0.01
33	दमन और दीव	4		0.01	10		0.03
34	दिल्ली	1042		2.46	518		1.23
35	लक्षद्वीप	0		0.00	0		0.00
36	पुदुचेरी	55		0.14	57		0.12
	कुल	**133582**	**335.00**	**357.96**	**121858**		**323.34**

*अनंतिम डाटा। वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए छात्रवृत्ति का वितरण वर्ष 2018-19 में भी जारी है।
वर्ष 2018-19 के लिए 23 जुलाई, 2018 से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अभी तक कोई भी छात्रवृत्ति नहीं दी गई है।

विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत वासतविक एवं वित्तीय उपलब्धि की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
		रूपए करोड़ में															
		टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए
1	आंध्र प्रदेश	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटित निधि की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी निधि की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटित निधि की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी निधि की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटित निधि की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी निधि की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटित निधि की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी निधि की संख्या	30	16	30	15	30	19	40	यूजीसी द्वारा 2018-19 के लिए चयन अभी नहीं किया गया है।
2	अरुणांचल प्रदेश									4	4	4	4	4	4	4	
3	असम									33	33	33	33	33	33	50	
4	बिहार									50	55	50	50	50	53	73	
5	छत्तीसगढ़									4	4	4	3	4	3	4	
6	गोवा									4	4	4	3	4	4	4	
7	गुजरात									23	22	23	8	23	22	26	
8	हरियाणा									10	11	10	10	10	10	13	
9	हिमाचल प्रदेश									4	4	4	4	4	4	4	
10	जम्मू और कश्मीर									28	39	28	80	28	31	38	
11	झारखंड									19	19	19	19	19	19	25	
12	कर्नाटक									33	33	33	33	33	33	39	
13	केरल									50	50	50	52	50	51	61	
14	मध्य प्रदेश									24	23	24	22	24	24	27	
15	महाराष्ट्र									62	60	62	59	62	64	93	
16	मणिपुर									4	4	4	4	4	4	6	
17	मेघालय									6	6	6	6	5	6	10	
18	मिजोरम									4	4	4	4	4	4	4	
19	नागालैंड									6	6	6	6	5	6	6	
20	ओडिशा									10	8	10	3	10	11	9	

21	पंजाब									54	52	54	54	54	57	70	
22	राजस्थान									25	25	25	26	25	25	34	
23	सिक्किम									4	4	4	4	4	4	4	
24	तमिलनाडु									29	31	29	33	29	31	37	
25	त्रिपुरा									4	4	4	0	4	2	4	
26	उत्तर प्रदेश									111	111	111	110	111	115	165	
27	उत्तराखंड									4	4	4	4	4	2	7	
28	पश्चिम बंगाल									80	79	80	79	80	82	106	
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह									4	1	4	0	4	0	4	
30	चंडीगढ़									4	4	4	1	4	3	4	
31	दादरा और नगर हवेली									4	0	4	0	4	1	4	
32	दमन और दीव									4	0	4	0	4	0	4	
33	दिल्ली									13	17	13	9	13	11	13	
34	लक्षद्वीप									4	0	4	0	4	2	4	
35	पुद्दुचेरी									4	4	4	3	4	3	4	
36	तेलंगाना									0	15	0	15	0	13	0	
	सकल योग	55.58	55.52	120.00	119.92	125.00	124.85	153.00	31.00	756	756	756	756	754	756	1000	
आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य तक 50% स्लॉट्स																	
टी- लक्ष्य, ए- उपलब्धि																	